न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, केम्प भोपाल

प्र.क्र.आर3859/15

निरस्त दिनांक 27.06.17

PBR/पुनर्स्थापना/होशंगाबाद/भू.रा./2017/2535 आवेदन प्रस्तुति दि.26.06.17

श्री विश्वास जोशी
...26-7-17
...

अब्दुल वकील बेग आ0 अब्दुल अजीज बेग
निवासी जुमेराती मोहल्ला होशंगाबाद
तह0 व जिला होशंगाबाद ....याचिकाकर्ता/आवेदक

बनाम

1. हसन अली आ0 चन्दू शाह निवासी बी.टी.आई. रोड,
बालागंज होशंगाबाद तह0 व जिला होशंगाबाद
2. सुरेश कुचबंदिया आ0 स्व0 झून्नूलाल कुचबंदिया
निवासी बालागंज मोहल्ला होशंगाबाद तह0 व जिला होशंगाबाद
3. अब्दुल हफीज बेग आ0 अब्दुल अजीज बेग
4. अब्दुल रसीद बेग आ0 अब्दुल अजीज बेग
दोनों निवासी बालागंज मोहल्ला होशंगाबाद
तह0 व जिला होशंगाबाद ....उत्तरवादीगण/अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) सहपठित धारा 32 म0प्र0भू0रा0संहिता

याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है :-

1. यह कि उक्त याचिका दिनांक 27.06.17 को माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत थी, याचिका में पुकार के समय अनुपस्थिति के कारण उक्त याचिका अदम पैरवी में निरस्त हो गई है ।

2. यह कि याचिकाकर्ता/आवेदक को हृदयाघात के कारण याचिकाकर्ता/आवेदक चलने फिरने में असमर्थ हो गया है, और याचिकाकर्ता/आवेदक को विश्राम की सलाह दी गई है, याचिका कर्ता दिनांक 08 जून 2017 से निरंतर भोपाल के सिद्धांत रेडक्रास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज करा रहा है । याचिकाकर्ता/आवेदक की विभिन्न जांचों के बाद याचिकाकर्ता/आवेदक का इलाज प्रारंभ किया जाकर याचिकाकर्ता/आवेदक चिकित्सक की सलाह से विश्राम कर रहा है, एवं आगे की जांचे भी चिरायु अस्पताल भोपाल में भी कराई जा रही है, तथा आज भी निरंतर इलाज करा रहा है ।

3. यह कि उक्त कारण से याचिकाकर्ता/आवेदक पेशी दिनाक 27.06.17 को स्वंय उपस्थित होने में असमर्थ था तथा उक्त बीमारी के कारण अपने

अधिवक्ता को भी सूचित नहीं कर सका था उक्त कारण से दिनांक 27.06.17 को इस याचिका कर्ता की अनुपस्थिति में याचिका निरस्त हो गई है।

4. यह कि दिनांक 27.06.17 याचिकाकर्ता/आवेदक की अनुपस्थिति का युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण है, यदि याचिकाकर्ता/आवेदक की दिनांक 27.06.17 की अनुपस्थिति का युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण होते हुये भी यदि याचिका पुनः नम्बर पर नहीं ली गई तो, याचिकाकर्ता/आवेदक को अपूरक क्षति और सारभूत हानि होगी ।

5. यह कि याचिकाकर्ता/आवेदक इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर याचिका का निराकरण गुणावगुण के आधार पर कराना चाहता है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार एवं विधि अनुसार याचिकाकर्ता/आवेदक की याचिका पुनः नम्बर पर स्थापित की जाकर सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं बल्कि न्यायहित में. यह उचित एवं आवश्यक है ।

6. यह कि इस आवेदन के साथ याचिकाकर्ता/आवेदक का शपथ पत्र संलग्न है ।

अतएव निवेदन है कि, पुर्नरीक्षण याचिका क्रं.3859/15 जिसके पक्षकार अब्दुल वकील बेग बनाम हसनअली व 3 अन्य हैं, में पारित आदेश दिनांक 27.06.17 जिसके द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, अपास्त किया जाकर उक्त पुनरीक्षण याचिका पुनः नम्बर पर ली जाकर गुणावगुण के आधार पर निराकृत किये जाने का आदेश देने की कृपा करें ।

द्वारा

अब्दुल वकील

याचिकाकर्ता/आवेदक

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता/आवेदक

PBR/पुर्नस्थापन/होशंगाबाद/अ०रा०/2017/2535

28/2/18	निगमसीमा के प्रतिस्थापना आवेदन वैध है अतः स्वीकार किया जाता है।
	अध्यक्ष